

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 13, बुधवार, १९४७- मार्च 05, 2026 Phalguna 13, Wednesday, Saka 1947- March 05, 2026	

भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 05, 2026

संख्या एफ. 13(07)विशा/विस/2026/ :-राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 जैसा कि दिनांक 05 मार्च, 2026 को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

2026 का विधेयक सं. 7

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2026 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 19 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 19 में,-

- विद्यमान खण्ड (ठ) हटाया जायेगा;
- विद्यमान परन्तुक का खण्ड (iv) हटाया जायेगा; और
- विद्यमान **स्पष्टीकरण-I** हटाया जायेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 19 पंच या सदस्य के लिए सामान्य निरर्हताओं का उपबंध करती है। इस धारा का खण्ड (ठ) यह बताता है कि कोई व्यक्ति जिसके दो से अधिक बच्चे हैं तो, वह किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगा।

राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि बड़ी संख्या में व्यक्ति, जो जनता को प्रेरित करने और उनकी सेवा करने की क्षमता रखते हैं और पंचायत जैसी संस्था का मार्गदर्शन करने की परिकल्पना रखते हैं, जिन्हें दो से अधिक बच्चे होने के कारण पंच या पंचायती राज संस्था का सदस्य बनने का अवसर नहीं मिल पाता है। इसलिए, राज्य सरकार ने 1994 के उक्त अधिनियम की धारा 19 से इस निरर्हता को हटाने का विनिश्चय किया है।

तदनुसार, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

मदन दिलावर,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

Bill No. 7 of 2026

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2026

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

*A**Bill**further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2026.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 19, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- In section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994),-

- (i) the existing clause (l) shall be deleted;
 - (ii) the existing clause (iv) of proviso shall be deleted; and
 - (iii) the existing **Explanation-I** shall be deleted.
-

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) provides general disqualifications for members of a panchayat. Clause (i) of this section stipulates that a person having more than two children shall be disqualified for being chosen as or for being a member of a panchayat.

It has come into the notice of the State Government that a great number of persons having the ability to inspire and serve the public and a vision to lead an institution such as panchayat do not get an opportunity for being a member of panchayat for the reasons that he or she has more than two children. Therefore, the State Government has decided to remove this disqualification from section 19 of the said Act of 1994.

Accordingly, section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 is proposed to be amended suitably.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

मदन दिलावर,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

*A**Bill*

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

BHARAT BHUSHAN SHARMA,

Principal Secretary.

Government Central Press, Jaipur.